रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73
Division ...
Acc. No. TOD-11084
Date ... 25.6.76
Call No.
Processed Checked
Date of Transfer
17 ... 1974

REGISTERED No. D (D)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 6, 1974/आषाढ़ 15, 1896
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 6, 1974/ASADHA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 15 जून, 1974

का० नि० 685.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों ...त हुए, केन्द्रीय सरकार, संबद्ध राज्यों की सरकारों से परामर्श पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 ...धन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) ...धन नियम, 1974 है।

...नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त

(2) राज्य में अपने व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में करे, उसी मापमान पर यात्रा भत्ते का हकदार होगा जो अखिल भारतीय सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 1954 के अधीन दौरे के संबंध में उस सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय हो।

(2) कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति अकादमी में या ऐसे विभिन्न स्थानों पर जहां वह राज्य में अपने व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान तैनात किया जाये, अपने विराम के दौरान किसी दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

(3) कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति :—

(क) प्रशिक्षण का प्रथम चरण पूरा होने पर अकादमी से राज्य की ओर ;

(ख) प्रशिक्षण के द्वितीय चरण के लिए राज्य से अकादमी को यात्राओं की बाबत, उपनियम (1) के अधीन दौरे के संबंध में यात्रा भत्ते के अतिरिक्त, उक्त प्रत्येक यात्रा के लिए 100 रु० के तदर्थ स्थानान्तरण अनुदान का भी हकदार होगा :

परन्तु जहां परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कुटुम्ब हो और कुटुम्ब सदस्य

(i) सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद सम्बन्धी मद I के सामने स्तम्भ II में, शीर्ष पदोन्नति के अन्तर्गत अक्षर शब्द और कोष्ठक "ड्राफ्ट्समैन ग्रेड ए (प्रवरण कोटि) जो" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक, 'ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 'ए' (प्रवरण कोटि), जिसके न हो सकने पर प्रोजेक्ट कम्प्यूटर तथा ड्राफ्ट्समैन ए जो," रखा जाय ।

(ii) सहायक इंजीनियर (यांत्रिक) के पदों सम्बन्धी मद 2 के सामने स्तम्भ II में शीर्षक "पदोन्नति" के अन्तर्गत, अक्षरों शब्दों और कोष्ठकों "ड्राफ्ट्समैन ग्रेड ए" (प्रवरण कोटि जो के स्थान पर निम्नलिखित शब्द अक्षर तथा कोष्ठक "ड्राफ्ट्समैन ग्रेड ए (प्रवरण कोटि) जिसके न हो सकने पर प्रोजेक्ट कम्प्यूटर तथा ड्राफ्ट्समैन 'ए' जो" रखा जाय ।

सं० ए-21/31/74

प्यारे लाल गुप्ता, अवर सचिव

(Roads Wing)

New Delhi, the 29th April, 1974

G.S.R. 712.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Engineering Service (Roads) Class II Posts, Recruitment Rules, 1969 namely :—

(1) These rules may be called the Central Engineering Service (Roads), Class II posts, Recruitment Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

In the schedule to the Central Engineering Service (Roads) Class II posts Recruitment Rules, 1969 :—

(i) against item 1 relating to the posts of Assistant Engineer (Civil), in column 11, under the heading "Promotion", for the words, letters and brackets "Draftsman Grade 'A' (Selection Grade), who", the following words, letters and brackets "Draftsman Grade 'A' (Selection Grade), failing which Project Computors and Draftsman 'A', who" shall be substituted :

(ii) against item 2 relating to the posts of Assistant Engineer (Mechanical), in column 11 under the heading "Promotion" for the letters, words and brackets "Draftsman Grade 'A' (Selection Grade) who", the following words, letters and brackets "Drafsmen Grade 'A' (Selection Grade), failing which Project Computors and Draftsman 'A' who" shall be substituted.

[No. A-22(31) 74]

P. L. GUPTA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जून, 1974

सा०का०नि०. 713—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1776, तारीख 30 नवम्बर, 1964 में प्रकाशित आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1974 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में इन्जीनियरी सहायक के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 35 के सम्मुख कालम 10-क के अन्तर्गत 'आवश्यक' शीर्षक के अन्तर्गत अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात —

या

"भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना द्वारा प्रदत्त साउण्ड रिकार्डिंग तथा साउण्ड इन्जीनियरी में डिप्लोमा"

सं० 3/21/73 एस० 4

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 4th June, 1974

G.S.R. 713.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 1776, dated the 30th November, 1964, namely :—

1. (i) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (2nd Amendment) Rules 1974.

(ii) They shall come into force of the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against serial No.35, relating to the posts of Engineering Assistant, in column 10, under the heading "Essential", the following shall be added at the end, namely :—

OR

Diploma in Sound Recording and Sound Engineering awarded by the Film and Television Institute of India, Poona".

[No 3/21/73-S-IV]

नई दिल्ली, 15 जून, 1974

सा० का० नि० 714.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1 इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1974 कहा जा सकेगा ।

2 ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 (इसके बाद इसका उक्त नियमावली के नाम से उल्लेख किया जायेगा) में नियम 6 के उपरान्त निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"7 अपवाद इन नियमों की किसी बात का इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

3 उक्त नियमावली की अनुसूची में तकनीशियन (वायरमैन मैकेनिक सहित) के पद से संबंधित क्रम संख्या 11 के सम्मुख कालम 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित हटा दिया जायेगा, अर्थात् :—